संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण
आवक क्र. 1470
दिनांक 13/6/25
छ.ग. रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 2–11/2024/नौ, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/06/2025

प्रति,

1. संचालक,
 खेल एवं युवा कल्याण
2. समस्त कलेक्टर,
 छत्तीसगढ़

विषयः– **युवा रत्न सम्मान योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका।**

——::000::——

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, साहसिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के मध्य हो, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार तथा समाज सेवा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से "युवा रत्न सम्मान योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2/ युवा रत्न सम्मान योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त योजना के सुदृढ़ एवं सफल कियान्वयन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(हिम शिखर गुप्ता)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2–11/2024/नौ, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
3. पुलिस महानिदेशक, नवा रायपुर अटल नगर,
4. संचालक, संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर,
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
7. समस्त सहायक संचालक/जिला खेल अधिकारी, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

JB/DD/DDF/OSD/AD/YWO/SO/AAO
Director
13/6/25

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

—: मार्गदर्शिका :—

—: युवा रत्न सम्मान :—

प्रस्तावना :—

छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिये सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से "युवा रत्न सम्मान" की स्थापना किया गया है। इस कार्य में व्यक्तियों/संगठनों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संगठनों को "युवा रत्न सम्मान" प्रदाय करने का निर्णय लिया है।

02. उद्देश्य :—

01. राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, साहसिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य क्षेत्र (जिसे चयन समिति उपयुक्त समझे) में उत्कृष्ठ कार्य/प्रदर्शन करने वाले युवाओं (15–29 वर्ष के आयु के मध्य) एवं स्वैच्छिक संगठनों को प्रेरित करना।

02. युवाओं में अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार अच्छे नागरिक के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार करना।

03. राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के लिए युवाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करना।

04. राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के लिए युवाओं के साथ काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करना।

03. सम्मान का स्वरूप :—

क्र.	पुरस्कार	क्षेत्र	प्राप्तकर्ताओं की अधिकतम संख्या		पुरस्कार राशि (प्रत्येक हेतु)	
			युवा	संगठन	युवा	संगठन
1	छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान	असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य	01	01	2.5 लाख	5 लाख
2	युवा रत्न सम्मान (सामाजिक कार्य)	सामाजिक	01	—	01 लाख	—
3	युवा रत्न सम्मान (साहित्य)	साहित्य	01	—	01 लाख	—
4	युवा रत्न सम्मान (नवाचार)	उद्योग	01	—	01 लाख	—
5	युवा रत्न सम्मान (शिक्षा)	शिक्षा	01	—	01 लाख	—
6	युवा रत्न सम्मान (खेल)	खेल	01	—	01 लाख	—
7	युवा रत्न सम्मान (पर्यावरण)	पर्यावरण	01	—	01 लाख	—

क्रमशः 2

क्र.	पुरस्कार	क्षेत्र	प्राप्तकर्ताओं की अधिकतम संख्या	पुरस्कार राशि (प्रत्येक हेतु)
			युवा	
8	युवा रत्न सम्मान (महिला एवं बाल विकास)	महिला एवं बाल विकास	01	01 लाख
9	युवा रत्न सम्मान (मीडिया)	मीडिया	01	01 लाख
10	युवा रत्न सम्मान (स्वास्थ्य)	स्वास्थ्य	01	01 लाख
11	युवा रत्न सम्मान (विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी)	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी	01	01 लाख
12	युवा रत्न सम्मान (दिव्यांगजन)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	01	01 लाख
13	युवा रत्न सम्मान (कला एवं संगीत)	सांस्कृतिक	01	01 लाख
14	युवा रत्न सम्मान (लोककला)	लोककला	01	01 लाख

01. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष 01 युवा तथा 01 स्वैच्छिक संगठन को प्रदाय किया जायेगा। युवा को दिए जाने वाले पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र, एक शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रुपये शामिल होंगे। स्वैच्छिक संगठन को प्रदाय किये जाने वाले पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र, एक शॉल और अधिकतम 05 लाख रुपये शामिल होंगे।

02. शेष युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष 01–01 युवा को प्रदाय किया जायेगा। पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र, एक शॉल और अधिकतम 01 लाख रुपये शामिल होंगे।

03. युवा रत्न सम्मान (महिला एवं बाल विकास) के पुरस्कार केवल महिलाओं/बालिकाओं को प्रदाय किया जायेगा।

04. एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संगठन/संस्था, एक से अधिक श्रेणी के युवा रत्न पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।

05. एक श्रेणी का युवा रत्न सम्मान, किसी व्यक्ति संगठन/संस्था को एक से अधिक बार नहीं दिया जायेगा।

04. पात्रता की शर्तें :–

4.1 व्यक्तियों के लिए :–

01. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।

क्रमशः 3

02. उसकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात जिस वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उसके 1 अप्रैल को उसकी आयु 15 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और वर्ष के 31 मार्च को उसकी आयु 29 वर्ष से कम होनी चाहिए।

03. व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य एवं वर्तमान में किये जा रहे दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

04. प्रदान की गई सेवा स्वैच्छिक आधार पर होनी चाहिए और समुदाय/समाज में उल्लेखनीय प्रभाव डालना चाहिए।

05. उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई सेवा का प्रभाव स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य होना चाहिए।

06. उसे पहले इस तरह का पुरस्कार नहीं दिया गया हो हालाँकि, ऐसे व्यक्ति जिनकी पुरस्कार के लिए एक बार अनुशंसा की गई है और अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए हैं, उनकी दोबारा अनुशंसा की जा सकती है।

07. केन्द्र/राज्य शासन के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

08. स्थानीय समुदाय के बीच उनकी प्रतिष्ठा, सुधार की उनकी इच्छा और संबंधित क्षेत्र में वास्तविक रुचि शामिल होगी।

4.2 स्वैच्छिक संगठनों के लिए :–

01. पिछले तीन वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

02. संगठन/संस्था की नियमावली/मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए;

03. अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर जानकार व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की स्थिति में रहें,

04. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा,

05. लिंग, धर्म, जाति या पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ भेदभाव न करें

06. प्रासंगिक क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य एवं वर्तमान में किये जा रहे दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

07. पहले इस तरह का पुरस्कार नहीं दिया गया हो (ऐसी एजेंसियां जिन्हें एक बार पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया है और अंतिम रूप से चयनित नहीं किया गया है, उन्हें फिर से अनुशंसित किया जा सकता है)।

क्रमशः 4

08. स्थानीय समुदाय के बीच अच्छी प्रतिष्ठा हो, और

09. इसके द्वारा प्रदान की गई सेवा का प्रभाव स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य होना चाहिए।

05. प्रस्ताव प्रस्तुत करना :–

01. युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन का प्रारूप संलग्न हैं।

02. विश्वविद्यालय/कॉलेज, स्थानीय विकास विभाग, स्वैच्छिक एजेंसियां, निजी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, आदि के माध्यम से अथवा व्यक्ति स्वयं अपनी अनुशंसा में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

03. उपरोक्त संगठनों से प्राप्त अनुशंसा के अलावा, विभिन्न स्तरों पर चयन समिति, अपने विवेक से, योग्यता के आधार पर, ऐसे व्यक्तियों या युवा संगठनों पर विचार कर सकती है, जिनकी किसी ने अनुशंसा नहीं की है, लेकिन जिसे चयन समिति द्वारा उपयुक्त माना जाता है।

04. विचार किए जाने वाले प्रस्तावों के साथ उम्मीदवारों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए।

06.सम्मान के क्षेत्र :–

01. सामाजिक कार्य :–
 - I. धर्मार्थ सेवा (Charitable service)।
 - II. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बढ़ावा देने वाले कार्य।
 - III. पिछड़े वर्गो की स्थिति में सुधार हेतु कार्य।
 - IV. अद्वितीय साहस एवं असाधरण वीरता के कार्य हेतु।
 - V. अन्य।

02. साहित्य :–
 - I. कहानी लेखन।
 - II. कविता लेखन।
 - III. उपन्यास लेखन।
 - IV. पुस्तक लेखन।
 - V. अन्य

03. उद्योग एवं व्यापार :–
 - I. उद्योग के क्षेत्र में नवाचार।
 - II. कौशल प्रशिक्षण।
 - III. हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन।
 - IV. रोजगार अवसर सृजन।
 - V. अन्य।

04. शिक्षा :–

I. शिक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार ।
II. शिक्षा का प्रचार–प्रसार।
III. गैर औपचारिक एवं वयस्क शिक्षा।
IV. व्यक्तित्व विकास एवं संचार कौशल प्रशिक्षण।
V. आजिविका मार्गदर्शन शिविर।
VI. अन्य।

05. खेल :–

I. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन।
II. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन ।
III. साहसिक खेलों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन।
IV. पारंपरिक खेलों का सरंक्षण एवं संर्वधन।
V. अन्य।

06. पर्यावरण संरक्षण :–

I. जल संरक्षण एवं संवर्धन।
II. वन संरक्षण एवं संवर्धन।
III. वन्य जीव संरक्षण।
IV. मृदा संरक्षण।
V. वायु संरक्षण।
VI. अन्य।

07. महिला एवं बाल विकास :–

I. दहेज प्रथा के विरूद्ध कार्यवाही।
II. बाल विवाह।
III. अंधविश्वास एवं रूढ़ीवादी के विरूद्ध कार्य।
IV. लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध कार्य।
V. कन्या संरक्षण।
VI. अन्य।

08. मीडिया :–

I. डिजिटल मीडिया।
II. प्रिंट मीडिया।
III. सोशल मीडिया।

09. स्वास्थ्य :–

I. चिकित्सा अनुसंधान।
II. आयुर्वेद/होम्योपेथी में विशेषज्ञता।
III. एलोपेथी/नेचुरोपेथी।
IV. जागरूकता का विस्तार।

10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :–

I. Space Engineering.
II. परमाणु विज्ञान।
III. सूचना प्रौद्योगिकी।
IV. विज्ञान एवं संबंधित विषयों पर अनुसंधान एवं विकास।
V. अन्य।

11. दिव्यांगजन उत्थान :–

I. दिव्यांगजनों की शिक्षा।
II. दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
III. दिव्यांगजन हेतु रोजगार सृजन।
IV. दिव्यांगजन जागरूकता अभियान।
V. अन्य।

12. कला एवं संगीत :–

I. संगीत।
II. वादन।
III. चित्रकला।
IV. सिनेमा/थियेटर।
V. नृत्य।
VI. अभिनय।
VII. अन्य।

13. लोककला :–

I. लोकगीत।
II. लोकनृत्य।
III. लोकनाट्य।
IV. लोक शिल्पकला।
V. लोक चित्रकला।
VI. लोक परंपरा का संरक्षण।
VII अन्य।

7. चयन की प्रक्रिया :–

7.1 जिला स्तर पर निर्णायक मण्डल एवं चयन प्रक्रिया :–

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में कलेक्टर द्वारा 02 नामांकित सदस्य, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का 01 जिला स्तरीय अधिकारी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव होगा। (उक्त समिति में अनिवार्य तौर पर 01 महिला सदस्य सम्मिलित होगी) जिला प्रशासन आवेदनों की जांच करेगी। राज्य स्तरीय निर्णायक मण्डल को जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हेतु चुने गए युवाओं के 01 तथा स्वैच्छिक संगठन के 01 नाम की अनुशंसा की जायेगी। इसी प्रकार, जिला प्रशासन द्वारा शेष युवा रत्न सम्मान हेतु चुने गए युवाओं के अधिकतम 01–01 (प्रत्येक सम्मान हेतु) नामों की अनुशंसा करेगी।

क्रमशः7

जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल की अनुशंसा सामान्यतः जिला प्रशासन द्वारा स्वीकार की जाएंगी। यदि कोई बदलाव किया जाता है तो उसका पूरा औचित्य बताना होगा। जिला प्रशासन द्वारा व्यक्तियों/संगठनों के कार्यो के सत्यापन उपरांत ही पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया जायेगा। जिला प्रशासन हर साल निर्धारित समयावधि तक अपनी अनुशंसा संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7.2 राज्य स्तर निर्णायक मण्डल एवं चयन प्रक्रियाः–

राज्य स्तर पर, जिला प्रशासन की अनुशंसा की जांच की जायेगी और युवा सम्मानों का अंतिम चयन करेगी। चयन समिति, अपने विवेक से, पुरस्कार के लिए उन योग्यताओं, व्यक्तियों या युवा संगठनों पर भी विचार कर सकती है जिनकी अनुशंसा किसी जिला स्तरीय चयन समिति ने नहीं किया है। राज्य स्तर पर निर्णायक मण्डल निम्नानुसार होगी :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	विवरण
1.	मान. मंत्रीजी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, छ.ग. भाासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
3.	संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़	सदस्य
4.	सामान्य प्रशासन विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	संयुक्त संचालक/उपसंचालक संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

08. जिला एवं राज्य स्तर पर निर्णायक मण्डल की शक्तियां :–

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों/संगठनों के नाम पर भी विचार कर सकेगी, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाऐं।
4. निर्णायक मण्डल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

09. सम्मान की घोषणा :–

क) निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रस्तुत करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सम्मान के लिये चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

ख) प्रतिवर्ष युवा रत्न सम्मान प्रदाय करने हेतु विशेष समारोह का आयोजन सामान्यतः युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को किया जायेगा। आवश्यकतानुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।

ग) पुरस्कार विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

10. सामान्य :–

क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के अपने विवेक से इस मार्गदर्शिका में संशोधन करने में सक्षम है।

ख) पुरस्कारों के लिए आवश्यक धनराशि और सरकार द्वारा अनुमोदित सभी आकस्मिक खर्चों के लिए राशि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

ग) किसी भी विवाद की स्थिति में, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन प्रारूप (व्यक्तिगत)

3 फोटोग्राफ; एक को यहां चिपका दिया गया और 2 को अलग से लिफाफे में रख दिया गया

1. नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) (देवनागरी लिपि में भी).....
2. लिंग (पुरुष/महिला).....
3. पिता का नाम – श्री.....
4. जन्मतिथि (शब्दों और अंकों में)..... (आयु 31 मार्च, 202024 को)
5. पता (नीचे (ए) और (बी) पर टेलीफोन/फैक्स/मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा)
 (ए) संपर्क पता (पिन कोड के साथ)
 (बी) स्थायी पता (पिन कोड के साथ)
 (सी) ईमेल आईडी
6. व्यवसाय :–
7. शैक्षणिक योग्यता :–
8. गतिविधि का क्षेत्र (पिछले 3 वर्षों के दौरान कालानुक्रमिक क्रम में गतिविधि–वार और वर्ष–वार) :–
9. पिछले 3 से 5 वर्षों के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना है। (कृपया लगभग 300 शब्दों में एक अलग से संक्षिप्त नोट जोड़ें जिसमें किए गए ठोस कार्य और समुदाय पर इसके प्रभाव को दर्शाया गया हो)
10. इंगित करें कि कॉलम 09 में कार्य कैसे दर्शाया गया है। उपरोक्त कार्य मात्रात्मक दृष्टि से मापने योग्य या सत्यापन योग्य है।
11. क्या सेवा स्वैच्छिक आधार पर प्रदान की गई है या वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में।
12. क्या इस कार्य के लिए उन्हें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया गया है?
13. वह किस हद तक स्थानीय समुदाय को संबंधित कार्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है
14. आपके क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर जो आपके द्वारा समाज/समुदाय के लिए किये गये कार्यों को प्रमाणित कर सकें।
15. क्या उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया गया ?
16. स्थानीय समुदाय के बीच उसकी प्रतिष्ठा।
17. क्या उसे किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है या उसके खिलाफ किसी अदालत में कोई मामला लंबित है?
18. कमजोर वर्गों के प्रति और राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उद्देश्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुशंसित व्यक्ति का सामान्य रवैया। (कृपया दो सत्यापन योग्य उदाहरण बताएं)
19. कार्य के संबंधित क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए भविष्य की योजनाएं।

जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल की अनुशंसा

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदक को दिया गया योग्यता का क्रम

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)
जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल
कार्यालय सील, डाक पता

स्थान :–
दिनांक :–.....

नोट :–

- युवा रत्न सम्मान के लिए अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

–:: युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन प्रारूप (स्वैच्छिक संगठन) ::–

1. संगठन का नाम (अंग्रेजी और देवनागरी लिपि दोनों में)

2. पूरा पता

 कृपया पिन कोड, दूरभाष भी बताएं। नं./फैक्स. सं./मोब. नंबर/ईमेल आईडी)

3. पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख

 (कृपया अंग्रेजी या हिंदी में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. कार्यकारी सदस्यों के नाम और उम्र

5. गतिविधि के क्षेत्र (पिछले 3 वर्षों के दौरान कालानुक्रमिक क्रम में गतिविधि–वार और वर्ष–वार) :–

6. वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना है।

 (कृपया 300 शब्दों का एक संक्षिप्त नोट जोड़ें जिसमें किए गए ठोस कार्य और समुदाय पर इसके प्रभाव को दर्शाया गया हो)

7. कृपया बताएं कि कॉलम 06 में काम कैसे दर्शाया गया है। उपरोक्त मात्रात्मक शब्दों में मापने योग्य/सत्यापन योग्य है।

8. क्या किया गया कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता से किया गया था या पूरी तरह से स्वैच्छिक था। यदि वित्तीय सहायता के साथ किया गया है तो कृपया विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता की सीमा बताएं

9. क्या ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया गया?

10. स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक एजेंसी की सामान्य प्रतिष्ठा।

11. जिस सीमा तक एजेंसी अपने काम में समुदाय को शामिल करने की स्थिति में थी।

12. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति और राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, समाजवाद आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए संगठन का सामान्य रवैया। (कृपया दो सत्यापन योग्य उदाहरण बताएं)।

13. कार्य के प्रासंगिक क्षेत्र में और अधिक सुधार करने के लिए संगठन की भविष्य की योजना।

14. क्या एजेंसी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कोई पुरस्कार दिया गया? यदि हां, तो जानकारी दें।

जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल की अनुशंसा

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा संगठन को दिया गयायोग्यता क्रम :–

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)
जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल
कार्यालय सील, डाक पता

स्थानः–
दिनांक :–.....

टीप :–

- युवा रत्न सम्मान के लिए अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।